संख्याः 73/2016/3063 प्रो0/51-2016-20(09)/2016

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उ0 प्र0 शासन ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2016

विषयः- राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के होटल में प्रवास के दौरान उनके भोजन आदि पर व्यय के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के प्रोटोकाल अनुभाग द्वारा राज्य अतिथि नियमावली-2011 में वर्णित प्राविधानानुसार कतिपय महानुभावों को राज्य अतिथि घोषित करते हुए उनके प्रवास की व्यवस्था होटलों में कराये जाने के निर्देश जारी किये जाते रहे हैं । कई बार राज्य अतिथि घोषित ऐसे महानुभावों के होटलों में प्रवास के दौरान कक्ष किराये के साथ भोजन आदि के जो देयक प्राप्त होते हैं वे अत्यधिक होते हैं । इस परिप्रेरक्ष्य में विभिन्न होटलों के किराये के साथ बफेट ब्रेकफास्ट/बफेट लंच/बफेट डिनर आदि की सूचना प्राप्त की गई, जिससे यह पाया गया कि विभिन्न होटलों में बफेट ब्रेकफास्ट/बफेट लंच/बफेट डिनर की स्टैण्डर्ड दर निर्धारित है । अतः इस संबंध में विभिन्न होटलों से प्राप्त बफेट ब्रेकफास्ट /बफेट लंच/बफेट डिनर आदि के दरों की प्रति संलग्न कर पे्रषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त परिपे्रक्ष्य में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें-

(क) होटलों द्वारा निर्धारित किये गये बफेट ब्रेकफास्ट /बफेट लंच/बफेट डिनर की न्यूनतम दरों के अनुरुप ही राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के भोजन आदि पर व्यय किये जाने हेतु संबंधित होटलों को सूचित करें ।

(ख) राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के होटल में प्रवास के दौरान मादक द्रव्य (लीकर), लाण्ड्री, जिम आदि अनुमन्य होने का उल्लेख उ0 प्र0 राज्य अतिथि नियमावली, 2011 में नही है अतः तद्नुसार ही व्यवस्था करते हुए देयक भुगतान हेतु प्रोटोकाल विभाग को भेंजे जाये ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ग) विशेष परिस्थितियो में अतिविशिष्ट महानुभावों के होटलों में प्रवास के समय भोजन आदि पर न्यूनतम दर से अधिक व्यय सम्भावित होने की दशा में उक्त सम्भावित अधिक व्यय की सूचना से संबंधित विभाग/राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रोटोकाल अनुभाग एवं संबंधित होटल को पहले ही अवगत कराया जाना होगा ।

(घ) शासनादेश संख्याः 1828 प्रो0/51-2014-20(52)/2010, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 में यह प्राविधान है कि विभागों द्वारा यदि किसी महानुभाव के प्रवास व भोजन की व्यवस्था होटल ताज अथवा अन्य होटल में किए जाने का प्रस्ताव है, तो उस पर मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन आवश्यक होगा । मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त होटल ताज अथवा अन्य होटल में प्रवास व भोजन की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी ।

अतः यदि किसी विभाग द्वारा राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के प्रवास की व्यवस्था होटलों में कराया जाता है तो तद्नुसार उन्हें उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा तथा ससमय इसकी सूचना प्रोटोकाल अनुभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग को देनी होगी ।

भवदीय

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्याः 73/2016/3063 (1)प्रो0/51-2016-11(34)/2013, तद् दिनांक

प्रतिलिपि समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।